लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2823
दिनांक 15.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

शिल्प संकुल

2823. श्री अनुराग शर्माः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
श्री रेबती त्रिपुराः
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समावेशी और सतत विकास के लिए नवोन्मेषी डिजाइन, प्रौद्योगिकी और क्षमताओं के साथ देश में शिल्प संकुलों की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में कार्यशील शिल्प संकुलों की संख्या कितनी है और उक्त संकुलों में कार्यरत शिल्पकारों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शिल्प संकुलों की स्थापना में प्रदान की गई/उपयोग की गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश, विशेषकर झांसी और एनईआर में और अधिक संकुलों की स्थापना करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रुग्ण और बंद किए गए संकुलों और उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संकुलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने तथा बंद किए गए संकुलों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश में और अधिक शिल्प संकुलों की स्थापना करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (ग): जी हां महोदय। सरकार ने देश भर में व्यवहार्य शिल्प कलस्टरों को अपनाने की पहल की है और इन कलस्टरों को डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन, विपणन मंच, टूल-किटों का वितरण, कल्याण कार्यक्रम, सेमिनार और जागरूकता शिविर जैसे आवश्यकता आधारित इंटरवेन्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, कलस्टरों को औपचारिक रूप देने के लिए, कारीगर आधारित उत्पादक कंपनियों की संकल्पना की गई और कलस्टर कारीगरों के समग्र विकास के लिए देश भर में अब तक 56 उत्पादक कंपनियाँ बनाई गई हैं जिनमें निर्यातोन्मुख शिल्प कलस्टर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कलस्टर, पर्यटन स्थलों के साथ जुड़े कलस्टर और महत्वाकांक्षी जिलों के कलस्टर शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 138 कलस्टर अपनाए गए हैं जिसमें से 27 उत्तर प्रदेश में, 9 महाराष्ट्र में, 6 तमिलनाडु में और 4 त्रिपुरा में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या और उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(घ) से (छ): कलस्टर गतिविधियों को आँकने के लिए देशभर में मूल्यांकन किए गए हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के अनुसार, सरकार ने आधार लिंक पहचान कार्ड, मुद्रा ऋण के माध्यम से कारीगरों को सुविधा प्रदान करने तथा जेम (जीईएम) पोर्टल पर कारीगरों को ऑन बोर्ड करने और उन्हें ई-कॉमर्स बाजार के बारे में जागरूक बनाने के लिए देश भर में 670 चौपालों/शिविरों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग, पर्यटन और निर्यात सक्षम कलस्टरों को शामिल करते हुए देश भर में और अधिक व्यवहार्य कलस्टरों को अपनाने की ओर परिकल्पित है। सरकार देश भर के व्यवहार्य शिल्प कलस्टरों को लगातार अपना रही है।

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2823 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

एएचवीवाई योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की कुल संख्या (2018-2021)

क्र. सं.	राज्य	कुल लाभार्थी
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1460
2.	आंध्र प्रदेश	2950
3.	अरुणाचल प्रदेश	2730
4.	असम	6200
5.	बिहार	3075
6.	छत्तीसगढ़	1405
7.	गोवा	500
8.	गुजरात	8100
9.	हरियाणा	1283
10.	हिमाचल प्रदेश	1810
11.	जम्मू एवं कश्मीर	5770
12.	झारखंड	2429
13.	कर्नाटक	2750
14.	केरल	1520
15.	लद्दाख	500
16.	मध्य प्रदेश	7200
17.	**महाराष्ट्र**	**11349**
18.	मणिपुर	1545
19.	मेघालय	1800
20.	मिज़ोरम	1000
21.	नागालैंड	1400
22.	नई दिल्ली	1405
23.	ओडिशा	3055
24.	पुदुच्चेरी	660
25.	पंजाब	1600
26.	राजस्थान	4618
27.	सिक्किम	1160
28.	**तमिलनाडु**	**1860**
29.	तेलंगाना	3250
30.	**त्रिपुरा**	**1520**
31.	**उत्तर प्रदेश**	**10090**
32.	उत्तराखंड	1905
33.	पश्चिम बंगाल	3038
कुल योग		**100937**

वर्ष-वार विवरण			
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	12.91	16.99	29.90

*****